



कार्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:-

एफ-5(कार्मिक/सा.प्र./जननि/2021/ 654

दिनांक :- 27.08.21)

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के आदेश क्रमांक एफ 6(3) एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 15.07.2021 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 में प्रभावी दिनांक 01.07.2021 से मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि कर 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत की गई है।

01. मंहगाई भत्ते की गणना पे मैट्रिक्स के मूल वेतन पर की जावेगी।
02. मंहगाई भत्ता 50 पैसे व अधिक की गणना अगले राऊण्ड ऑफ रूपये में की जावेगी।
03. मंहगाई भत्ते में दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 व 01.01.2021 को की जाने वाली बढोतरी भी शामिल की गई है तथा दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के मंहगाई भत्ते की दर 17 प्रतिशत ही रहेगी।
04. मंहगाई भत्ते का नगद भुगतान दिनांक 01.07.2021 से किया जावेगा (अर्थात् माह जुलाई 2021 का वेतन देय दिनांक 01.08.2021)।



(यज्ञ मित्र सिंहदेव)


आईएस

आयुक्त

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, महापौर महो०/उपमहापौर महोदय नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. निजी सहायक, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
3. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
5. समस्त उपायुक्त जोन/मुख्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. सहायक लेखाधिकारी (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
8. प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
9. अध्यक्ष/महामंत्री, कर्मचारी ट्रेड यूनियन, नगर निगम जयपुर
10. अध्यक्ष/महामंत्री, मोटर गैराज शाखा, नगर निगम जयपुर
11. अध्यक्ष/महामंत्री, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, नगर निगम जयपुर
12. कार्यालय अधीक्षक
13. ओसवाल डाटा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
14. गार्ड फाईल


आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर